भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6331
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

पंजाब में कृषि-प्रसंस्करण संकुलों की प्रचालन स्थिति

†6331. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष 2023-24 से अब तक पंजाब में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) रूपनगर, होशियारपुर और एसबीएस नगर जिलों में स्वीकृत कृषि प्रसंस्करण संकुलों और एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की वर्तमान प्रचालन स्थिति क्या है और जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए केन्द्रीय सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिवालिक क्षेत्र में नष्ट होने योग्य फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत पर ही प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र (पीपीसी) की पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजाब में स्थानीय किसानों को घरेलू खुदरा आपूर्ति श्रृंखलाओं और निर्यात बाजारों के साथ सीधे जोड़ने हेतु एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) संकुलों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत , पंजाब राज्य में वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.12.2025 तक 2137 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्वीकृति दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि के लिए 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

(ख): दिनांक 31.12.2025 तक, एमओएफपीआई ने पंजाब राज्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना निर्माण की 3 परियोजनाओं और एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला) की 24 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। रूपनगर, होशियारपुर और एसबीएस नगर जिलों में एपीसी के अंतर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। रूपनगर, होशियारपुर और एसबीएस नगर जिलों में स्वीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है-

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	ज़िला	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता	जारी अनुदान सहायता	स्थिति
अल्केमिस्ट फूड्स लिमिटेड	रूपनगर	27.02.2021	40.71	3.05	3.05	चालू
ए.एस.फ्रोजन फूड्स	एसबीएस नगर	29.10.2018	17.31	6.35	6.35	चालू
पी. स्टार एग्रो प्रोडक्ट्स	होशियारपुर	23.11.2020	16.12	5.11	5.11	चालू

(ग) एवं (घ): एमओएफपीआई द्वारा शिवालिक क्षेत्र में कृषि स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) की पर्याप्तता के संबंध में अब तक ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, एमओएफपीआई प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों के माध्यम से देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिफेट), वर्ष 2015 (संदर्भ वर्ष 2012-14) और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस), वर्ष 2022 (संदर्भ वर्ष 2020-22) के माध्यम से दो अध्ययन कराए गए थे।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि इनपुट की खरीद, साझा सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में व्यापक स्तर का लाभ प्राप्त किया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए ढांचा प्रदान करता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत , पंजाब के सभी 23 जिलों के लिए ओडीओपी उत्पादों की पहचान की गई है।

एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बाजार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्यवर्धन आदि शामिल हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, फसलोत्तर नुकसान में कमी आए, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि हो और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि हो।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर निर्यातकों को कृषि/बागवानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीईडीए की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाज़ार विकास शामिल हैं।

*****